न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

सीलिंग प्रार्थना पत्र संख्या 71/17

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
भैरूलाल पुत्र जोधाराम जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी मृतक के कायम मुकाम – 1गुलाबचंद 2चांदमल 3लालचंद पुत्रान भैरूलाल जाति कुमावत 4गोपाल पुत्र भैरूलाल जाति कुमावत नि. कुचामन मृतक के का.मु. 4/1सुरेश पुत्र गोपाल 4/2दिनेश पुत्र गोपाल नाबा. जरिये संरक्षक माता गंगादेवी पत्नी गोपाल 4/3सुमन पुत्री गोपाल 4/4ममता पुत्री गोपाल 4/5गंगादेवी पत्नी गोपाल जाति कुमावत निवासी कुचामन 5किशनलाल पुत्र भैरूलाल जाति कुमावत निवासी कुचामन मृतक के विधिक प्रतिनिधिगण– 5/1कमलादेवी पत्नी किशनलाल जाति कुमावत निवासी कुचामन। 5/2शंकर पुत्र किशनलाल जाति कुमावत निवासी कुचामन। 5/3शिम्भूडी पुत्री किशनलाल जाति कुमावत निवासी कुचामन। 5/4सुनीता पुत्री किशनलाल जाति कुमावत निवासी कुचामन। 6मुन्नीदेवी पुत्री भैरूलाल जाति कुमावत निवासी कुचामन। 7कालूराम पुत्र भैरूलाल जाति कुमावत निवासी कुचामन। 8जीतमल पुत्र पेमाराम जाति कुमावत निवासी कुचामन।		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान।

उपस्थिति :–

1. श्री श्याम बारूपाल अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक 8.3.2018

1. संक्षिप्त में मामलें का तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय के सीलिंग प्रकरण सं. 47/87 (9/79) (नया कानून) सरकार बनाम प्रतापसिंह में निर्णय दिनांक 19.4.02 के विरूद्व राजस्व मंडल में अपील/सीलिंग/4733/2003 इस्माइल पुत्र नजीर के का. मु. बनाम राज. सरकार व अपील/सीलिंग/3069 व 3434/2003 हरीसिंह पुत्र प्रतापसिंह के का.मु. बनाम प्रतापसिंह प्रस्तुत की गई। जिसमें माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपने निर्णय क्रमशः दिनांक 17.12.15 व 16.12.15 के द्वारा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.04.02 निरस्त करते हुए प्रकरण सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदत्त करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश पारित करते हुए रिमाण्ड किया गया है। प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थीयान द्वारा उजरदारी प्रार्थना पत्र मूल सीलिंग प्रकरण में दिनांक 19.12.17 को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में यह प्रार्थना पत्र प्रत्यास्थापन के लिये प्रस्तुत किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपना जवाब दिनांक 05.01.18 को तथा अन्डरटेकिंग दिनांक 05.02.18 प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निर्णय दिनांक 16.12.15 व 17.12.15 की प्रति, नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल की फोटोप्रति, नकल जमाबंदी ग्राम कुचामनसिटी संवत 2050 से 53 बाबत खसरा नं. 308 की फोटोप्रति, नामान्तरकरण सं.

अपर कलक्टर, नागौर

1463 की फोटोप्रति, जमाबंदी संवत 2066–69 बाबत खसरा नं. 308 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है।

2. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया तथा बताया कि–

2(1). भैरूलाल पुत्र जोधाराम, जाति कुमावत साकिन कुचामन के खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि गत खसरा नं. 87 के नवीन खसरा नं. 308 रकबा 1.48 हैक्टर बारानी द्वितीय मौजा ग्राम कुचामन की सरहद में आई हुई है।

2(2). उक्त आराजी के संबंध में पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा राज. कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 संक्षेप 1973 का अधिनियम अथवा नवीन सीलिंग अधिनियम की धारा 23 (2क) के अधीन निर्धारिती राजा प्रतापसिंह पुत्र हरीसिंह साकिन कुचामन के विरूद्व कार्यवाही कर दिनांक 19.4.02 को सिवाय चक घोषित कर दी गई।

2(3). न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय के कारण गत खसरा नं. 87 प्रार्थी की 1.48 हैक्टर की खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि के अधिकार अभिलेख में फेरफार कर नामान्तरकरण सं. 1463 द्वारा सीलिंग प्रकरण में सिवाय चक अंकित कर दी गई। गत खसरा नं. 87 के नवीन खसरा नं. 308 रकबा 1.48 हैक्टर बारानी द्वितीय नवीन सेटलमेंट कार्यवाही में दर्ज किये गये है।

2(4). उक्त आदेश के विरूद्व माननीय राज. राजस्व मंडल अजमेर में की गई अपील में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 19.4.02 को निरस्त कर पुनः विचारण हेतु न्यायालय हाजा को प्रतिप्रेषित की गई है।

2(5). वकील प्रार्थी द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि मूल सीलिंग प्रकरण में यदि सुनवाई पश्चात उक्त भूमि सीलिंग में अधिग्रहित पायी जायेगी तो उक्त भूमि को भार रहित / भार सहित जैसी भी स्थिति होगी, प्रार्थीगण के लिये अधिग्रहण किये जाने हेतु दायी होगी एवं समर्पित कर दी जायेगी। इस आशय का अडंरटेकिंग भी प्रस्तुत कर दिया गया है।

2(6). नामान्तरकरण सं. 1463 के मौजूदा अंकन के कारण सीलिंग प्रकरण में सिवाय चक घोषित कर देने की वजह से गत खसरा नं. 87 के नवीन खसरा नं. 308 रकबा 1.48 हैक्टर बारानी द्वितीय की कृषि भूमि को राज्य सरकार अन्यत्र किसी अजनबी व्यक्ति को आंवटन कर देने पर खातेदार कृषक भैरूलाल के वारिसान को बेवजह जैरबार होना पडेगा और इससे वाद बाहुल्ता का विस्तार होगा और खातेदार भैरूलाल के वारिसान प्राथीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल असर पडने के कारण भारी असुविधाओं व हानि का सामना करना पडेगा इसलिये पूर्व में इस न्यायालय के निर्णय के कारण राजस्व रेकर्ड में किये गये फेरफार कर प्रत्यास्थान किया जाकर पुनः राजस्व रेकर्ड में पूर्व की स्थिति को बहाल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वकील प्रार्थीगण द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि मूल आदेश दिनांक 19.4.02 माननीय राजस्व मंडल द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा सीलिंग नियमों में अधिग्रहीत भूमि यदि किसी को आंवटन कर दी जाती है तो भी उसे धारा 144 सीपीसी के तहत मूल खातेदार को प्रत्यास्थापन किया जा सकता है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1990 पेज 355, आरआरडी 1980 पेज 670 नजीरें प्रस्तुत की गई है।

अपर कलक्टर, नागौर

3. राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार कुचामन के जवाब दिनांक 05.01.18 का समर्थन करते हुए बताया गया कि नामान्तरकरण सं. 1463 के द्वारा आराजी खसरा नं. 308 रकबा 1.48 हैक्ट. भूमि सीलिंग प्रकरण सं. 47/87 सरकार बनाम प्रतापसिंह में पारित निर्णय दिनांक 19.4.02 के द्वारा सिलिंग अधिशेष घोषित होने पर सिवाय चक दर्ज की गई है। उक्त निर्णय दिनांक 19.4.02 माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा निरस्त कर पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण भिजवाया गया। जो न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। आराजी भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में राजकीय दर्ज है।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र तथा जवाब प्रार्थना पत्र तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं मूल सीलिंग प्रकरण सं. 4/16 (47/87) (9/79) (नया कानून) सरकार बनाम प्रतापसिंह का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मूल सीलिंग प्रकरण सं. 47/87 (9/79) नया कानून सरकार बनाम प्रतापसिंह के का.मु. में निर्णय दिनांक 19.04.2002 के द्वारा ग्राम कुचामनसिटी के साबिका खसरा नं. 87 मिन रकबा 16.06 बीघा भूमि सीलिंग अधिशेष दिनांक 19.4.02 को घोषित की गई है। उक्त खसरा नं. 87 के हाल खसरा नं. 308 रकबा 1.48 हैक्ट. बनना मिलान क्षेत्रफल से प्रतीत होता है। नामान्तरकरण सं. 1463 के द्वारा उक्त भूमि को सिवाय चक दर्ज किया गया है। माननीय राजस्व मंडल के निर्णय दिनांक 16.12.15 व 17.12.15 के अनुसार इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.4.02 को निरस्त करते हुए मूल सीलिंग प्रकरण इस न्यायालय को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु रिमाण्ड किया गया है। जो पक्षकारो की सुनवाई में लम्बित है तथा नकल जमाबंदी संवत 2066–69 के अनुसार आराजी भूमि सिवाय चक दर्ज है। जिसको अन्य किसी को आवंटन की स्थिति में विवाद/मुकदमेबाजी बढने की आशंका भी बनी रहती है तथा आराजी भूमि यदि सीलिंग अधिग्रहण में आती है तो प्रार्थीगण वापिस देने हेतु सहमत भी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के लंबित रहने के दौरान रिकार्ड मे पूर्व स्थिति कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि मूल सीलिंग प्रकरण सं. 47/87 (9/79) सरकार बनाम प्रतापसिंह में निर्णय दिनांक 19.04.02 के तहत ग्राम कुचामनसिटी के गत खसरा नं. 87 मिन के हाल खसरा नं. 308 रकबा 1.48 हैक्टर भूमि नामान्तरकरण सं. 1463 जिसके द्वारा सिवाय चक दर्ज किया गया है, जिससे संबंधित नामान्तरकरण सं. 1463 से पूर्व की स्थिति अनुसार खसरा नं. 308 रकबा 1.48 हैक्टर हेतु गुलाबचन्द वगैरा के नाम राजस्व रेकर्ड में स्थिति पूर्ववत बहाल कर राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जावे। यह आदेश मूल सीलिंग प्रकरण के अध्याधीन रहेगा। आदेश की एक प्रति मूल सीलिंग प्रकरण सं. 47/87 (9/79) सरकार बनाम प्रतापसिंह के साथ रखी जावे। पालना जारी हो।

6. आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/3/2018

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर